Variorum Multi-Disciplinary e-Research Journal
Vol.,-05, Issue-I, February 2014

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला के जिला परिषद अंतर्गत प्राथमिक स्कूल विकास के लिए समाज सहभाग का अध्ययन

श्री. भरत पवारः शोध छात्र,जे. जे. टी. विश्वविद्यालय (राजस्थान)

प्रस्तावना

माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ, स्कूल व्यवस्थापन समिती यह समाज और स्थानिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करनेवाली दिखाई देती है l शिक्षा हक्क आयोग के अनुसार ६ से १४ वर्ष के प्रत्येक बालक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना यह शासन की तथा स्थानिक प्राधिकरण की जिम्मेदारी है l इसलिए स्कूल के विकास में और संनियंत्रण में स्थानिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करनेवाले माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ और स्कूल व्यवस्थापन समिती को महत्वपूर्ण स्थान है l

अनुसंधान की आवश्यकता

स्कूल के विकास से विदयार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है l इसलिए माता–पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है l सर्वसाधारणतः पारिवारिक जरुरत और महत्वपूर्ण निर्णय बहुता पिता ही लेते है l माताओंका दर्जा गौणही माना जाता है l आज बदलते काल में माताओंकी भी भूमिका जाँचने की जरुरत निर्माण हुई है l स्त्री अब प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अपनी क्षमता सिद्ध कर रही है l इसीलिए माता पालकों को गौण मानने की आज तककी परंपरा गलत हुई है l इसलिए अब पर्यायी माता पालकों को जागृत करना और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए माता पलक संघ की नितांत आवश्यकता आहे.

प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रिकीकरण के लिए गांव स्तरपर ग्रामस्थ, पालकों का स्कूल में सहभाग होना चाहिए यह विचार कर शासनने प्रत्येक गांव में से १ फरवरी १९९० के शासन निर्णय के अनुसार स्कूल व्यवस्थापन समिती की स्थापना की है l ता. १ जन. २०११ से सभी स्कूलों में स्कूल व्यवस्थापन समिती स्थापन की गयी है l प्राथमिक स्कूल में शिक्षा ले रहे बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और शासनने शुरु किए हुए सभी योजना यशस्वी करने के लिए स्कूल व्यवस्थापन समिती ने स्कूलपर नजर रखना, मुख्याध्यापकों को स्कूल संचलन के संदर्भ में गांव स्तरपर मदत करना और स्कूल के विकास के लिए समाज सहभाग बढाना यह और ऐसे अनेक कामोंमे स्कूल व्यवस्थापन समिती, माता पालक व शिक्षक पालक संघ का सहभाग कितना है यह जानकर लेने के लिए सद्य अनुसंधान कार्य हात में लिया है l

अनुसंधान की मर्यादा

१. प्रस्तुत अनुसंधान महाराष्ट्र राज्य के लिए मर्यादित है l

२. प्रस्तुत अनुसंधान ठाणे जिला के १५ तालुकाओं में प्रत्येक २० स्कूल इस तरह ३०० स्कूलों के लिए मर्यादित है।

३. प्रस्तुत अनुसंधान स्कूल विकास में समाज के सहभाग में समितियों में से माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ और स्कूल व्यवस्थापन समितीके कार्यतक ही मर्यादित है।

४. प्रस्तुत अनुसंधान साल २०१३–१४ यह शैक्षिक वर्ष के लिए मर्यादित है।

अनुसंधान के साधन

प्रस्तुत अनुसंधान के लिए स्कूल विकास मे समाज के सहभाग में आनेवाले माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ और स्कूल व्यवस्थापन समिती सदस्य, स्कूल के शिक्षक, मुख्याध्यापक इनके लिए प्रश्नावली यह साधन का उपयोग कर सामग्री संकलन की जाएगी।

माता पालक संघ

माताओंको उनके पाल्य के शैक्षिक प्रगती की संपूर्ण जानकारी देकर उन्हीके सहकार्य से स्कूल में के विदयार्थियों के विकास को सहकार्य और विदयार्थियों के व्यक्तीमत्व का सर्वांगीण विकास साध्य करने के लिए माता पालक संघ की निर्मिती की गयी है।
(मराठे, २००५, माता पालक प्रबेधन शिक्षक हस्तपुस्तिका)

पालक शिक्षक संघ

पालक शिक्षक संघ के संदर्भ में गांव स्तर पर शैक्षिक संस्था और लोकप्रतिनिधी इनके एकदुसरे के सहविचारसे शिक्षा के सभी सुविधा अच्छे प्रकार से अंमल में लाने के लिए पालक शिक्षक संघ की स्थापना की गयी है। इस संदर्भ से प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल के भौतिक, शैक्षिक व विदयार्थी विकास के संदर्भ की समस्याओंको छुडाना और पालक का सक्रिय सहभाग बढाने के लिए शासन ने क्र. एम.एस.एन./अ. क्र.६२२/माशि २/ता. १६/५/१९६६ इस शासन निर्णयानुसार हर एक मान्यता प्राप्त स्कूल में पालक शिक्षक संघ की स्थापना करना अनिवार्य किया है। (बेडगे, २००७, मुख्याध्यापक मार्गदर्शिका)

स्कूल व्यवस्थापन समिती

स्कूल व्यवस्थापन समिती संदर्भ में महाराष्ट्र शासन ने ता. १७ जून २०१० को शासन निर्णय ता. ११ अक्टूबर २०११ को नियमावली अधिसूचित कर प्राइवेट बिनाअनुदानित स्कूल छोडकर अन्य सभी प्रकार के स्कूल में ता. ३० सितंबर २०१० पूर्व स्कूल व्यवस्थापन समिती गठित करना बंधनकारक किया गया है। इस समिती का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। उसके बाद प्रत्येक दो वर्ष के बाद इस समिती का पुनर्गठन करना अनिवार्य है। शिक्षा हक्क आयोग में केंद्र शासनने ता. २० जून २०१२ को दिए हुए आदेश के अनुसार स्कूल व्यवस्थापन समिती शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूलों में पुर्णतः कार्यरत रहकर स्कूल के कामकाज संबंधी संनियंत्रण होगी। अथवा प्राईवेट अनुदानित

स्कूलों में स्कूल व्यवस्थापन समिती सल्ला विषयक कार्य करेगी। स्कूल व्यवस्थापन समिती प्राइवेट बिनाअनुदानित स्कूलों के लिए लागू नहीं रहेगी। (शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, २०१०)

उपयुक्त सभी घटकों का विचार कर माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ, स्कूल व्यवस्थापन समिती यह समाज और स्थानिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करनेवाली दिखाई देती है। शिक्षा हक्क आयोग के अनुसार ६ से १४ वर्ष के प्रत्येक बालक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना यह शासन की तथा स्थानिक प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। इसलिए स्कूल के विकास में और संनियंत्रण में स्थानिक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करनेवाले माता पालक संघ, पालक शिक्षक संघ और स्कूल व्यवस्थापन समिती को महत्वपूर्ण स्थान है।

निष्कर्ष

१. अधिकतम शाला में माता पालक संघ सक्रिय है।

२. अधिकतम शाला में माता पालक संघ निष्क्रिय है।

३. स्त्री शिक्षिका शाला में ना हो तो माता पालक संघ की कामगिरी प्रभावी दिखाई नहीं दी।

४. पालक शिक्षक संघ और माता पालक संघ नके सभाओंमें सातत्यता दिखाई नहीं दी।

५. शाला व्यवस्थापन समिती के सक्रिय सहभाग के कारण पालक शिक्षक संघ का काम निष्क्रिय हुआ।

६. जिल्हा परिषद के सभी शालाओंमें RTE ॲक्ट के अनुसार शाला व्यवस्थापन समिती की स्थापना हुई है।

७. शासन की ओर से सन २०१२–१३ और सन २०१३–१४ में प्रशिक्षण के माध्यम से शाला व्यवस्थापन समिती सदस्योंका सबलीकरण दिखाई दिया।

८. शाला व्यवस्थापन समिती सदस्योंके शासन योजना कार्यान्वयन में विशेष योगदाब दिखाई दिया।

९. शाला व्यवस्थापन समिती सदस्योंकी सभाओं में उपस्थिती का प्रमाण तुलना में कम है।

१०. राज्य शासन ने शाला व्यवस्थापन समिती में दो विदयार्थियों के लिए स्विकृत सदस्य की राखीव जगह रखने से विदयार्थियों को भी प्रतिनिधित्व की प्रभावी संधी मिली हुई दिखाई देती है।

११. शाला के कुल व्यवस्थापन में शाला व्यवस्थापन समिती का महत्व बढ गया है।

१२. अधिकतम जगह शालेय पोषण आहार की कामगिरी बचत गट पर दी हुई दिखाई दी। इसलिए योजना के कार्यान्वयन में समाज सहभाग बढा हुआ दिखाई दिया।

१३. शाला कार्यक्रम में युवक मंडल, बचत गट, माता पालक संघ और शाला व्यवस्थापन समिती के सदस्यों की उपस्थिती लक्षणीय दिखाई दी।

१४. विविध समितीयों के समाज सहभाग के वजह से शेक्षिक उठाव का प्रमाण शाला स्तरपर बढता हुआ दिखाई दिया।

१५. विविध समितीयों के वजह से समाज के विविध घटकों को प्रतिनिधित्व मिलने से शाला स्तर पर समाज सहभाग बढा हुआ दिखाई दिया।

संदर्भ :

- भिंताडे वि. रा. (१९९९) शैक्षणिक संशोधन पद्धती (द्वितीयावृत्ती), पुणे : नूतन प्रकाशन.
- जाधव के. रा. (२००८), शैक्षणिक व्यवस्थापन (प्रथमावृत्ती), मुंबई : शेठ प्रकाशन.
- जाधव के. रा. (२०११), कृतिसंशोधन, (प्रथमावृत्ती), मुंबई : शुभाय प्रकाशन.
- कदम श.प. (१९८९), शैक्षणिक संख्याशास्त्र, पुणे : नूतन प्रकाशन.
- मस्के टी. ए. (१९८८) शैक्षणिक संख्याशास्त्र, (प्रथमावृत्ती), पुणे : प्रज्ञा प्रकाशन.
- मुळे रा. व., उमाठे वि. (१९७७), शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे (प्रथमावृत्ती), नागपूर : साहित्य प्रसार केंद्र.
- मुळे रा. व., उमाठे वि. (१९९८), शैक्षणिक संशोधनाची मूलतत्वे (तृतीयावृत्ती), औरंगाबाद : विद्या बुक्स.
- पंडित ब. बि. , (१९८९), शिक्षणातील संशोधन अभिकल्प (प्रथमावृत्ती), पुणे : नूतन प्रकाशन.
- पंडित ब. बि. , (१९९७), शिक्षणातील संशोधन अभिकल्प (द्वितीयावृत्ती), पुणे : नूतन प्रकाशन.
- पाटील वा. भा. (१९९९), संशोधन पद्धती, नागपूर : मंगेश प्रकाशन.